

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर, जिला सलुम्बर

प्रार्थी तहसीलदार सलुम्बर

किस्म धारा-177 रा.का.अ.

विपक्षी श्री लालजी व अन्य

प्रकरण संख्या 37/2019

कार्यवाही विवरण

10-01-2024

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि मौजा बांसा पटवार मण्डल उथरदा तहसील सलुम्बर के आराजी नम्बर 168 रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में विपक्षी लालजी पिता पदमा, पेमाराम पिता पदमा, देवीलाल पिता पदमा, नानाराम पिता पदमा, सवली बाई पत्नि पदमा मीणा निवासी बांसा के नाम सामलाती खातेदारी हक से दर्ज है। यह की उक्त आराजी नम्बर 168 रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि पर खातेदारान द्वारा अवैध बजरी के स्टोक कर उसे अन्यत्र ले जाया जा रहा है जिससे संपूर्ण कृषि भूमि बंजर हो गई है एवं मिट्टी का उपजाउपन समाप्त हो गया है। तथा वर्तमान में खातेदार नियमित रूप से उक्त भूमि में बजरी के स्टोक कर रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत प्रतिवादी के कृत्य को अवैधानिक करा खातेदारी अधिकार निरस्त करा बेदखली एवं भारी जुर्माने से दण्डित कराने का आदेश फरमावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजयसिंह देवडा ने वकालतनाम व जवाब पेश किया। अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपने जवाब में अंकित किया की विपक्षीगण उक्त आराजीयात पर नियमित कृषि कार्य करते आ रहे हैं एवं इनके द्वारा न ही कभी बजरी का खनन किया गया है न ही कोई बजरी का स्टॉक किया गया है। रिपोर्ट बेदूनियादी आधारों पर है ऐसे में मौके की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण कराया जाना आवश्यक है जिससे वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रतिवादीगण का जवाब रिकॉर्ड पर लेकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अनुतोष मय हर्जे-खर्चे के निरस्त फरमाया जावे।

उपरोक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार गींगला से मौका रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजीयात की भूमि पर काश्त हो रखी है तथा किसी प्रकार का बजरी भण्डारण अथवा अकृषि कार्य नहीं होना पाया गया। है।

हमने प्रार्थनापत्र में उपलब्ध दस्तावेजात व नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया गया। वर्तमान में मौजा बांसा के आराजी नम्बर 168 रकबा 0.09 हैक्टेयर पर विपक्षीगण काश्त कर रहे हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा.का.अ. सादित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र जी. पाटील)
सहायक कलक्टर (स.प.अ.)
उपखण्ड अधिकारी
जिला सलुम्बर
सलुम्बर